

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 260/एफ 2017-35-00493/वि/नि/चार
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 12 जून, 2017

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को समयमान वेतन (Time Scale Pay) उपलब्ध कराने बाबत।

- संदर्भ :- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 97/107/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 28.4.2008
2. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 08/सी-2802/वित्त/नियम/चार/09, दिनांक 15.01.09
 3. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 231/वित्त/नियम/चार/2009, दिनांक 10.8.2009
 4. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 216/सी-2802/वित्त/नियम/चार/ दिनांक 4.8.2010
 5. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 224/314/10/वित्त/नियम/चार/ दिनांक 19.6.2012
 6. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 339/एफ-1002358/12/वित्त/नियम/चार/ दिनांक 28.12.2012

छत्तीसगढ़ राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्यों को आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से संदर्भित ज्ञापनों द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।


2/ राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि संदर्भित आदेश दिनांक 28 अप्रैल, 2008 के परिशिष्ट-2 के अनुक्रमांक 30 में Directorate of Local Fund Audit के समक्ष कॉलम-4 में Junior Auditor के स्थान पर Assistant Auditor पढ़ा जावे। राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि संदर्भ में दर्शाये गये परिपत्रों के साथ विभागों के समक्ष उल्लेखित पदों के अतिरिक्त इस परिपत्र के साथ संलग्न 'परिशिष्ट-2' में दर्शाये गये पदों को शामिल किया जाये।

3/ विभागों से अनुरोध है कि वे 'परिशिष्ट-2' में दर्शाये गये उनके विभाग से संबंधित पदों की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि ये पद सीधी भर्ती के हैं एवं वेतनमान सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर समुचित संशोधन हेतु वित्त विभाग को तत्काल अवगत कराया जावे।

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्रों में निहित प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

संलग्न:- 'परिशिष्ट-2'


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(एस.के.चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त सभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु


12/6/2017
(प्रेमा गुलाब एक्का)
अवर सचिव

विभागवार एवं संवर्गवार उच्चतर वेतनमानों की सूची

स. क.	विभाग का नाम	विभागाध्यक्ष का नाम	संवर्ग	वर्तमान वेतनमान	प्रथम उच्चतर वेतनमान	द्वितीय उच्चतर वेतनमान	रिमार्क
1.	वित्त विभाग	संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5200-20200+2400	5200-20200+2800	9300-34800+4200	
2.	पशुधन विकास विभाग	संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें	सहायक ग्रेड-2	5200-20200+2400	5200-20200+2800	9300-34800+4200	संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें के अंतर्गत नियुक्त ऐसे सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी जो मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) पशु चिकित्सा सेवा भर्ती नियम, 1971 के तहत नियुक्त हुए हैं उन्हें ही समयमान वेतनमान की पात्रता होगी।